समाहरणालय, मुंगेर

(जिला पंचायत राज कार्यालय)

आदेश

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–868 / पं0, दिनांक–26.12.2014 के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार पटना में दायर CWJC No.-5391/2012 में निर्गत प्रथम नोटिश के आलोक में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने एवं ससमय अपने भारग्राही पंचायत सचिव को प्रभार नहीं सौंपने एवं सरकार का पक्ष न्यायालय में नहीं रखने का दोषी पाये जाने के आरोप में श्री प्रेम कुमार सिंह, सेवानिवृत पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय हवेली खड़गपुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रपत्र–'क' गठित करने का आदेश दिया गया।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर के ज्ञापांक– 3245 / दिनांक–18.11.2017 के द्वारा श्री प्रेम कुमार सिंह, सेवानिवृत पंचायत सचिव के विरूद्ध प्रपत्र–'क' गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र–'क' में तीन आरोप लागये गये है, जो निम्नवत् है :–

(1) दिनांक–09.08.2011 से आप मुढ़ेरी के पंचायत सचिव के प्रभार में थे। आपके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम नोटिश के आलोक में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने एवं ससमय अपना प्रभार अपने भारग्राही पंचायत सचिव को नहीं सौंपने के दोषी पाये गये।

(2) CWJC No.-5391/2012 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रथम नोटिश के आलोक में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने एवं ससमय अपना प्रभार भारग्राही पंचायत सचिव को नहीं सौंपने एवं सरकार का पक्ष नहीं रखने का दोषी पाया गया।

(3) आपकी लापरवाही एवं उदासीनता के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्गत प्रथम नोटिश का अनुपालन नहीं किये जाने में आप दोषी पाये गये। जबकि ग्राम पंचायत मुढ़ेरी का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा था।

उपरोक्त प्रपत्र–'क' में लगाये गये आरोप का अनुमोदन करते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–1151 / पं0, दिनांक–23.11.2017 के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता, मुंगेर एवं उपस्थापन पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर को नामित किया गया।

अपर समाहर्त्ता, मुंगेर–सह–संचालन पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक–954 / रा0, दिनांक–21.10.2019 के द्वारा श्री प्रेम कुमार सिंह, सेवानिवृत पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय हवेली खड़गपुर के विरूद्ध पूर्ण कर अभिलेख उपलब्ध कराया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–'क' में लगाये गए तीनों आरोप प्रमाणित पाये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, मुंगेर के निष्कर्ष, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं आरोपी कर्मी के द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण का विवरण निम्नवत् है :–

आरोप संख्या एवं आरोप	आरोपी पंचायत सचिव का कारण पृच्छा	उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य	संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष
1	2	3	4
आरोप संख्या :– 01. दिनांक– 09.08.2011 से आप मुढ़ेरी के पंचायत सचिव के प्रभार में थे। आपके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम नोटिस के आलोक में न्यायालय में उपस्थित नहीं	उक्त आरोप के आलोक में आरोपी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा प्रथम नोटिस मुझे	उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर के पत्रांक–2006 / दिनांक–21.09.2019 के द्वारा आरोपी से प्राप्त उक्त	आरोपी पंचायत सचिव श्री प्रेम कुमार सिंह, ग्राम पंचायत मुढ़ेरी में दिनांक– 09.08.2011 से अपने सेवा निवृति दिनांक–28.02.2014 तक पदस्थापित थे। ग्राम पंचायत के सारे कार्यों के साथ–साथ पंचायत से सबंधित पत्र या नोटिस प्राप्त

होने एवं ससमय अपना प्रभार अपने भारग्राही पंचायत सचिव को नहीं सौंपने के दोषी पाये गये।	प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके कारण मैं न्यायालय में उपस्थिति दर्ज नहीं करा सका।	स्पष्टीकरण के आलोक में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री प्रेम कुमार सिंह, सेवानिवृत तत्कालीन पंचायत सचिव वर्ष 2014 के पूर्व से मुढ़ेरी ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत थे। उक्त अवधि में पंचायत में जो भी पत्र नोटिस प्राप्त होता था उसे प्राप्त कराने एवं अनुपालन करने का दायित्व पदस्थापित पंचायत सचिव की जिम्मेदारी होती है।	कर उसका अनुपालन करने का भी दायित्व उनकी थी। ऐसी परिस्थिति में वर्णित अवधि में आरोपी द्वारा यह कहा जाना कि उन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम नोटिस प्राप्त नहीं होने के कारण वे न्यायालय में उपस्थित नही हो सके। आरोपी का यह कथन सत्य से परे प्रतीत होता है।
आरोप संख्या– 02. ब्श्रब छव०.5391द्2012 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रथम नोटिस के आलोक में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने एवं ससमय अपना प्रभार भारग्राही पंचायत सचिव को नहीं सौंपने एवं सरकार का पक्ष नहीं रखने का दोषी पाया गया।	आरोपी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमान् को मालूम कि मेरे बेटे का तबियत अत्यन्त सीरियस हो गया था। उस भागा–भागी के दौर में थोड़ा विलम्ब हो गया था। सर्वप्रथम प्रखंड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में मैंने अशोक कुमार, जनसेवक को दिनांक– 01.04. 2014 को प्रथम प्रभार दे दिया था। चूँकि जनसेवक प्रभार लेने में टाल–मटोल करते रहे। जिसके कारण प्रभार देने में दिक्कत आई। फिर पुनः प्रखंड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर द्वारा अनिल कुमार, पंचायत सेवक को प्रभार देने का आदेश हुआ। उनके द्वारा भी प्रभार लेने–देने में आनाकानी होते रहा। तत्पश्चात् पुनः प्रखंड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर द्वारा अशोक कुमार, जनसेवक को प्रभार देने का आदेश निर्गत किया गया। सुलभ प्रसंग हेतु प्रथम प्रभार प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न कर रहा हूँ। इस तरह से स्पष्ट है कि सेवानिवृति के पश्चात् का प्रभार नहीं सौपने का प्रश्न ही नहीं उठता है।	श्री प्रेम कुमार, सेवानिवृत पंचायत सचिव को पंचायत का प्रभार देने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–253/दिनांक– 07. 02.2014, 464/दिनांक– 04.03.2014, 1176/दिनांक– 02.07. 2014, 1240/दिनांक– 16.07.2014 एवं 1510/दिनांक–22.08. 2014 के द्वारा आदेश दिया गया था एवं तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से कई बार प्रभार देने हेतु निदेश दिया गया। परन्तु श्री प्रेम कुमार, तत्कालीन सेवानिवृत पंचायत सचिव के द्वारा प्रभार का आदन–प्रदान करने में विशेष रूचि नही लिया गया था।	आरोपी श्री प्रेम कुमार सिंह, सेवानिवृत पंचायत सचिव को पंचायत का प्रभार देने हेतु उन्हें प्रखंड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर के पत्रांक–253/दिनांक– 07.02. 2014, 646/दिनांक– 04.03.2014, 1176/दिनांक– 02.07.2014, 1240/दिनांक– 16.07.2014 एवं 1510/दिनांक–22.08.2014 द्वारा तथा तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर द्वारा मौखिक रूप से प्रभार देने हेतु दिये गये आदेश के बावजूद भी तथा आरोपी को उनकी सेवानिवृति की निर्धारित तारीख की पूर्ण जानकारी रहते हुए उनके द्वारा ससमय प्रभार के आदन–प्रदान करने में विशेष रूचि नहीं लिया गया। ऐसी परिस्थिति में आरोपी को लेकर प्रभार देने में विलम्ब होने की बात कही गई, जो वास्तविकता से परे प्रतीत होता है। जबकि आरोपी के सेवानिवृति के तुरंत बाद वित्तीय वर्ष की समाप्ति में मात्र एक माह शेष रह गया था। जिसके कारण वित्तीय कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।
आरोप संख्या– 03. आपकी लापरवाही एवं उदासीनता के कारण माननीय उच्च	उपरोक्त आरोप के आलोक में आरोपी से स्पष्टीकरण अप्राप्त	मुखिया एवं पंचायत सचिव दोनों के नाम से नोटिस निर्गत था, उसके	आरोप संख्या–03 के संबंध में उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर से प्राप्त मंतव्य से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत के

न्यायालय, पटना द्वारा निर्गत प्रथम नोटिस का अनुपालन नहीं किये जाने में आप दोषी पाये गये। जबकि ग्राम पंचायत मुढ़ेरी का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा था।	है।	अनुपालन में मुखिया न्यायालय में उपस्थित हुए तो यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन पंचायत सचिव श्री सिंह, को तथ्यों एवं नोटिश की जानकारी थी, परन्तु वे जान–बुझ कर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इस आधार पर आरोपी का माननीय न्यायालय में प्रथम नोटिश के आलोक में उपस्थित नहीं होने तथा ससमय अपना प्रभार भारग्राही पंचायत सचिव को नहीं सौंपने एवं न्यायालय में सरकार का पक्ष नहीं रखने पर दोषी पाया जाता है। उक्त कारणों से सरकारी कार्य पर प्रतिकूल प्रभार पड़ा श्री सिंह, सेवानिवृत पंचायत सचिव के द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।	मुखिया एवं पंचायत सचिव दोनों के नाम से निर्गत नोटिस के अनुपालन में उन्हें माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित होना था। उक्त नोटिस के अनुपालन में मुखिया द्वारा अपनी उपस्थिति न्यायालय में दी गई। जबकि तत्कालीन पंचायत सचिव श्री सिंह को तथ्यों एवं नोटिस की जानकारी रहते हुए भी जान–बुझ कर वे न्यायालय में सरकार के पक्ष को रखने हेतु उपस्थित नहीं हुए। आरोपी का यह कृत माननीय न्यायालय के आदेश का अवहेलना करना उनकी लापरवाही एव मनमानी तथा अपने कर्त्तव्यों के प्रति उदासीन होना एवं स्वेच्छाचारिता को परिलक्षित करता है। उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर के द्वारा आरोपी के उपरोक्त हरकतों के लिए आरोपी को दोषी मानते हुए उनके इस कार्य से सरकारी कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने तथा आरोपी के प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं समझा गया है। आरोपी द्वारा प्रपत्र–'क' में गठित बिन्दु संख्या–03 पर अपना स्पष्टीकरण न देकर मौन रहना तथा उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर के द्वारा प्राप्त मंतव्य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में तीनों गठित आरोप पूर्णतः प्रमाणित होता है।

विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–130 / पं0, दिनांक–02.02.2020 के द्वारा श्री प्रेम कुमार सिंह, सेवानिवृत तत्कालीन पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय हवेली खड़गपुर से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। इस कार्यालय के ज्ञापांक–314 / पं0, दिनांक–04.03.2020, ज्ञापांक–526 / पं0, दिनांक–04.05.2020 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित करने हेतु स्मारित किया गया।

श्री प्रेम कुमार सिंह, सेवानिवृत तत्कालीन पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय हवेली खड़गपुर द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पंचायत सचिव के पद से दिनांक–28.02.2014 को सेवानिवृत होने सेवानिवृति के तुरंत बाद ही पुत्र का अत्यधिक तबीयत खराब हो जाने के कारण स्वयं के मानसिक संतुलन खराब हो जाने एवं डिप्रेशन में चले जाने का जिक्र किया गया है, दिनांक–01.04.2014 को श्री अशोक कुमार, जनसेवक को प्रभार देने, श्री अशोक कुमार, जनसेवक के द्वारा प्रभार लेने में टाल–मटोल करने, उसके पूर्व श्री अनिल कुमार, पंचायत सचिव को प्रभार लेने का आदेश प्रखंड स्तर से दिये जाने के बावजूद श्री अनिल कुमार, पंचायत सचिव द्वारा प्रभार लेने में टाल–मटोल करने का जिक्र करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया। द्वितीय कारण पृच्छा संतोषजनक नहीं है।

आरोपित पंचायत सचिव, प्रेम कुमार सिंह, सेवानिवृत तत्कालीन पंचायत सचिव सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3(i), (ii), (iii) के तहत पूर्णरूपेण दोषी है।

अतः उपरोक्त तथ्यो के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, आरोपी कर्मी के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किए जाने के कारण समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए **मैं राजेश मीणा, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता–सह–दण्डाधिकारी, मुंगेर** बिहार

पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 139 (ख) के आलोक में श्री प्रेम कुमार सिंह, सेवानिवृत तत्कालीन पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय हवेली खड़गपुर के पेंशन से '' **पेंशन राशि का 20% (बीस प्रतिशत) की कटौती पाँच (05) वर्षों तक** '' करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है, तद्नुरूप विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है। पेंशन कटौती करने हेतु कर्मी के विभाग से अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त प्र0 वि0 पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर को आदेश दिया जाता है कि इस आशय की प्रविष्टि इनकी सेवापुस्त में दर्ज करते हुए इसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ भेजना सुनिश्चित करें।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 1198 /पं0, दिनांक 05/09/2020

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना एवं अपर मुख्य सचिव, पंचायत राज विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– श्री प्रेम कुमार सिंह, सेवानिवृत तत्कालीन पंचायत सचिव, प्रखण्ड कार्यालय, हवेली खड़गपुर को सूचनार्थ एंव अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– प्रखंड विकास पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त, मुंगेर /अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/ अनुमण्डल पदाधिकारी, खड़गपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एंव मुंगेर जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/09/20

जिला पदाधिकारी ,
मुंगेर।